न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 61/2017 (वाद)
दायर दिनांक – 20/07/2017
निर्णय दिनांक – 30/11/2017

अनवान

1. शंकर लाल पिता नारायण पायक निवासी– गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार पिता बाबुलाल पायक निवासी– गिलुण्ड, हाल निवासी मेहन्दुरिया, तहसील रेलमगरा
2. पंकज कुमार पिता बाबुलाल पायक निवासी– गिलुण्ड, हाल निवासी मेहन्दुरिया, तहसील रेलमगरा
3. सुनिल पिता बाबुलाल पायक निवासी– गिलुण्ड, हाल निवासी मेहन्दुरिया, तहसील रेलमगरा
4. मंजु देवी पत्नि बाबुलाल पायक निवासी– गिलुण्ड, हाल निवासी मेहन्दुरिया, तहसील रेलमगरा
5. रतनलाल पिता शिवलाल पायक निवासी– गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा
6. देवी लाल पिता शिवलाल पायक निवासी– गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा
7. कमलेश कुमार पिता शिवलाल पायक निवासी– गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा
8. अंकिता पुत्री शिवलाल पायक निवासी– गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा
9. सीता देवी पत्नि शिवलाल पायक निवासी– गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वादी अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया गया कि मौजा गिलुण्ड पटवार क्षेत्र में वर्तमान आराजी संख्या 3296 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा व आराजी संख्या 3297 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पर दादा स्वर्गीय नारायण पिता उंकार के नाम पर अन्य सहखातेदारान के साथ राजस्व रेकार्ड में अंकित थी जिसमें नारायण पिता उंकार का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंति था नकल जमाबन्दी 2029 से 2030 के खाता संख्या

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

597 की प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न है। नारायण पिता उंकार का वादपत्र में अंकित है। स्व. नारायण पिता उंकार की मृत्यु हो चुकी है तथा नारायण पिता उंकार की मृत्यु से पूर्व ही उसके पुत्र बंशी लाल की मृत्यु हो चुकी थी जिस कारण नारायण पिता उंकार की मृत्यु पश्चात पटवारी हल्का गिलुण्ड द्वारा विरासती नामान्तरकरण सं0 919 भरवाकर लेण्ड रेवेन्यू इन्सपेक्टर द्वारा स्व. श्री नारायण का सजरा बनाकर उक्त नामान्तरकरण भरकर पंचायत में प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत गिलुण्ड द्वारा उक्त मूल ही नामान्तरकरण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 9 के दादाओं व बंशीलाल के नाम पर निर्णित किया गया तथा पटवारी हल्का गिलुण्ड को उक्त नामान्तकरण संख्या 919 के अनुसार ही जमाबन्दी में अमल दरामद करना था परन्तु पटवारी हल्का गिलुण्ड ने सम्वत 2033 से 2036 की जमाबन्दी के खात संख्या 630 में अपने मनमकसुद तरीके से प्रतिवादीगण सं 1 से लगायत 9 के दादाओं बाबुलाल व शिवलाल से मिलीभगत कर षडयंत्र पूर्वक उन्हें अनुचित लाभ देने की गरज से इन दोनों के नाम पर जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया एवं बाबुलाल व शिवलाल के पिता की जगह उनके दादा नारायण का नाम अंकित कर दिया गया एव वादी का नाम उक्त आराजीयात से हटा दिया गया जो कृत्य तत्कालीन पटवारी हल्का का कानुन के विपरित होकर षडयंत्र पूर्वक किया गया है। जबकि पटवारी को इस प्रकार का कृत्य करने का किसी प्रकार का कोई कानुनी अधिकार नहीं था। जिस कारण वादी को मजबुर होकर उक्त आराजीयात में अपना 1/8 हिस्सा घोषित हेतु व शिवलाल व बाबुलाल के पिता की जगह नारायण अंकित होने से नारायण की जगह बंशी लाल लिखा जाना भी कानूनन आवश्यक है। इस अनुरूप राजस्व जनबन्दी में सुधार कराया जाना न्यायहित में आवयक है। राजस्थान भू राजस्व नियमों के अनुसार प्रति 3 वर्षो में नई जमाबन्दीयां तैयार की जाती है। जिस कारण पटवारी हल्का द्वारा सम्वत 2033 से 2036 की जमाबन्दी में उक्त नामान्तरकरण सं. 919 के अनुसार अमल दरामद न कर बाबुलाल शिवलाल पिता नारायण का नाम अंकित कर देने से बाद की जमाबन्दीयां में उसी अनुरूप शिवलाल बाबु लाल पिता नारायण का नाम ही अंकित चला आ रहा है। जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की जमाबन्दी में अनवरत चला आ रहा है नकल जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 व 2069 से 2072 तक की जमाबन्दी साथ संलग्न है। वादी का उपरोक्त आराजीयात में 1/8 हिस्सा होकर वादी अपने 1/8 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिस कारण उपरोक्त आराजीयात में वादी अपने 1/8 हिस्से की घोषणा कराने का कानुनन अधिकारी है जिस निमित्त उक्त वाद न्यायालय आपमें प्रस्तुत करना पड रहा है। वादी को जब उपरोक्त आराजीयात में अपना नाम अंकित नहीं होने की जानकारी हुई तब वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात में अपने हिस्से की भूमि अंकित कराने हेतु कहा गया तो पहले तो प्रतिवादीगण वादी को यह आश्वासन देते रहे कि तुम्हारे नाम पर तुम्हारा हिस्सा अंकित करवा देंगे परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति उत्पन्न हो गई एवं वे उक्त भूमि को अन्यत्र विक्रय करने एवं वादी को शान्ति पूर्वक अपने हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

लगे जिस कारण वह लडाई झगडा करने पर आमदा हुए जिस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वादग्रस्त की पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादी का अपने 1/8 हिस्से पर वादी शान्ति पूर्वक बिना किसी रोक टोक के साधिकार पूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। परन्तु अभी हाल ही में वादी को ऋण हेतु आवश्यकता होने से दिनांक 21/02/2017 को उपरोक्त वापदग्रस्त आराजीयात की नकल पटवारी हल्का से निकलवाई तो वादी को पता चला कि उपराक्त आराजीयात में वादी का नाम ही अंकित नहीं है उसके पश्चात् वादी ने तहसील कार्यालय से सम्वत 2029 से 2030 व 2033 से 2036 व 2036 से 2039 की जमाबन्दीयों की नकल निकलावाई तथा नामान्तकरण सम्वत 919 की प्रमाणित नकल निकलवाई तो उक्त त्रुटी का ज्ञान हुआ एवं उसके पश्चात वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि अपने नाम पर अंकित कराने को कहा तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे एवं आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी के नाम पर अंकित कराने से मना कर दिया जिससे वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 9 भूमिधारी होने से एवं आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया जा रहा है अन्यथा किसी प्रकार की कोई दाद नहीं चाही जा रही है। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में उन प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी प्रदान करायी जावे कि वाद ग्रस्त पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस अनुसार राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम अंकित कराया जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी के 1/8 हिस्से में किसी प्रकार का बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप, अतिक्रमण न करे न ही वादी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में रूकावट कारित करें न किसी अन्य से करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 09 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 10 भूमिधारक होकर उसके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी0 डब्लयू0–01 शंकरलाल, पी0 डब्लयू0–02 रामलाल, पी0 डब्लयू0–03 नारायण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–01, नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2030 के खाता संख्या 597 की प्रमाणित नकल प्रदर्श–02, नामान्तरकरण संख्या 919 प्रदर्श–03, जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 की नकल प्रदर्श–04, जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की नकल प्रदर्श–05 के प्रस्तुत किये गये। वादी ओर कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करना चाहते है। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस पर चिन्तन व मनन करने पर एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्रदर्श–03 नामान्तरकरण संख्या 919 में नारायण की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान में वादी का नाम भी अंकित है ऐसी स्थित में वादी अपने वाद को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड के आराजी संख्या 3296 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा व आराजी संख्या 3297 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि में वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस अनुसार राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम अंकित कराया जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के 1/8 हिस्से में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप, अतिक्रमण न करे न ही वादी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में रूकावट कारित करें न किसी अन्य से करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा